

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन, आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

अपील सं. 44/2020 (75 एलआरए)

तारीख दायरा 22.09.2020

उनवान अपील

बनेसिह पिता रामप्रसाद जाति मीणा आयु 33 वर्ष निवासी तेलियाखेड़ी तहसील
असनावर जिला झालावाड़

..... अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जयें सहायक वन संरक्षक झालावाड़

..... रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश सहायक वन
संरक्षक पिड़ावा दिनांक 15.03.2016 मि0सं0 206/एएस/15

उपस्थित :

- 1 अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान
- 2 पेराकार सरकार श्री मुकेश जैन

निर्णय

दिनांक 24.09.2020

- 1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक वन संरक्षक पिड़ावा के प्रकरण सं0 206/एएस/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
- 2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वन संरक्षक पिड़ावा ने क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट पर अपीलान्त बनेसिंह पिता रामप्रसाद जाति मीणा निवासी तेलियाखेड़ी को ग्राम तेलियोखड़ी के ख0न0 1 की 1 बीघा वन भूमि में अतिक्रमी मानते हुए 100-रू0 जुर्माना व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया,से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरुद्ध होने से निरस्तनीय है- अपीलान्त उक्त आराजी से पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है व वर्तमान में भी उक्त आराजी पर कब्जा नहीं है-उक्त आराजी पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय पारित




किया गया है जिसके कारण अपीलार्थी अपना जवाब पेश करने में वंचित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.03.16 की जानकारी सर्व प्रथम दिनांक 17.09.2020 को हुई जब अपीलार्थी को सजा भुगतने के लिये जेल भेजा गया। अतः अपील प्रमाणित नकल प्राप्त होने पर बिना किसी विलम्ब के मियाद मुआफी प्रा0पत्र मय शपथ पत्र के साथ पृथक से संलग्न है। अतः अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

- 3 उक्त अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस सुनी गई।
- 4 अपीलांत की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह चौहान ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्त का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी भूमि से अपना कब्जा काफी समय पूर्व ही हटा लिया गया है, विवादग्रस्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अपीलान्त दिनांक 17.09.2020 से जिला कारागृह में बंद होने से परिवार के भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, दौरान बहस उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपील अपीलान्त अन्दर मियाद स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2016 अपास्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
- 5 परोकार सरकार द्वारा दौरान बहस अनुरोध किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है, अपीलान्त द्वारा उक्त आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। अपील अपीलान्त सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।
- 6 उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 अपीलान्त के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा-5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है, न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है।
- 8 अपीलान्त अपील में यह कह कर आया है कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा नहीं है वह पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है किन्तु-अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा किया था तथा उसमें फसल आदि भी बोई थी जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि से होती है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिचार भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में विवेचित पूर्व के निर्णय से होता है। किन्तु उसके द्वारा अब वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय वन अधिकारी असनावर की रिपोर्ट दिनांक 21.09.2020 से होती है साथ ही अपीलान्त ने 8 दिन की सजा भी भुगत ली है। अतः अपीलान्त कुछ राहत पाने का पात्र हो गया है - परिणाम स्वरूप



अपील अपीलान्त आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास के दण्ड को भुगती सजा तक सीमित रखते हुए शेष सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है—निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ लोटाई जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़